

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री/श्री

..... निवासी/ग्राम करबा तहसील जिला

मंडल राज्य में उपजाति के अंतर्गत आते हैं यह जाति पिछड़े वर्ग हेतु

निम्नानुसार है -

1. भारत के असाधारण गजट भाग-एक, सेक्शन-1, सं 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93 बीसीसी (@) दिनांक 10 सितम्बर 1993
2. भारत के असाधारण गजट भाग एक, सेक्शन-1-संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011./9/94 बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994
3. भारत के असाधारण गजट भाग एक, सेक्शन-1-संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995
4. भारत के असाधारण गजट भाग एक सेक्शन-1-संख्या 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर, 1996
5. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-129 दिनांक 8 जुलाई, 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी
6. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-164 दिनांक 01 सित., 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी
7. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-236 दिनांक 11 दिसं., 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी
8. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-239 दिनांक 03 दिसं., 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी
9. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी
10. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी
11. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-241 दिनांक 27 अक्टू., 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी
12. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-270 दिनांक 06 दिसं, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी
13. भारत सरकार के असाधारण गजट सं.-71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी

तथा बाद में समय-समय पर संशोधित

श्री/श्रीमती/कु.* और/या उनका परिवार सामान्यतया

जिला राज्य में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के

कॉलम-तीन एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशोधन ओएम संख्या 36033/3/2004 ईएसटीटी

(आरईएस) दिनांक 09.03.2004 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

दिनांक :

जिलाधिकारी/उपायुक्त आदि

मुहर :

(कार्यालय मुहर सहित)

*जो लागू न हों, उसे काट दें.

नोट:

(क) सीप्रेजेन्टेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 की सेक्शन 20 में लिखित सामान्य अर्थ की तरह ही यहाँ शब्द आर्डिनरली का भी प्रयोग हुआ है।

(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी निम्नलिखित हैं -

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्पाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के स्तर के नीचे का नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के स्तर के नीचे का अधिकारी नहीं एवं

(iv) उप मंडल अधिकारी, (परगना अधिकारी) जहाँ अभ्यर्थी या उसका परिवार निवास करता है.